न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00170 **दायरा दिनांक : 31.01.2019**

उनवान

चन्द्र कान्ता बाई पुत्री स्व० रामकिशन जी, जाति तेली, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, हाल निवासी श्रीपुरा, टिप्पन चोकी के पास, कोटा, जिला कोटा
.... अपीलांटगण

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नी ओमप्रकाश पुत्री राम किशन जी, जाति तेली, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, हाल निवास 143 भट जी की गली के पास, पुराने गर्ल्स स्कूल के सामने, अन्ता तहसील अन्ता, जिला बारां
2. राजेश कुमार आत्मज श्याम लाल जी, जाति सिंधी, निवासी सी–143, गुलाब बाडी, आर्य समाज रोड, कोटा
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रमेश राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 101/2018 निर्णय दिनांक 13.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादनी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादनी व प्रतिवादी कम 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नं० 1911 रकबा 0.61 हे0, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 1973 रकबा 1.10 हे0, खसरा नम्बर 1981 रकबा 1.32 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.84 हेक्टर वाके ग्राम बमोरीकलॉ, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0 में खाता संख्या 507 पर दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2018 से वादनी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2018 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद बाबत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को धारा 10 सी.पी.सी. के आवेदन के तहत खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि पूर्व में अपीलान्टा के पिता रामकिशन जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी। अपीलान्टा के पिता रामकिशन जी 82 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे जो सितम्बर–2016 में फ्रेक्चर हो जाने से चलने फिरने में असमर्थ है। उनके फेफडे खराब हो गये थे तथा वादनी उनके पास रह कर उनकी सेवा करती रही तथा वे मरणासन्न स्थिति में थे व दिन प्रतिदिन उनकी तबियत खराब हो गयी तथा उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं रही ओर दिनांक 24.11.2016 का उनकी मृत्यु हो गयी तथा उनकी मृत्यु के बाद उनका फोती इन्तकाल अपीलान्टा व रेस्पोडेंट के नाम खोला गया। अपीलान्टा ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि महावीर को मुनाफे काश्त पर जुपवा दी किन्तु उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट नं० 1 व ग्रामवासी व मुनाफा काश्तकार व्यक्ति की निगाह हडपने की थी इस कारण मुनाफा काश्तकार व रेस्पोडेंट नं० 2 ने आपसी साजिश षडयंत्र रचकर एक फर्जी इकरारनामा कूटरचित रूप से दिनांक 04.11.2016 को तैयार किया। जिस पर अपीलान्टा के पिता के फर्जी हस्ताक्षर किये और उसके आधार पर विशिष्ठ अनुपालना का वाद सं० 32/17 सिविल न्यायालय में पेश कर दिया और एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस कारण पारित आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त फर्जी दस्तावेज का गठन किये जाने बाबत अपीलान्टा ने धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत मुख्य न्यायिक मजि० बारां में परिवाद पेश कर रखा है जो जेरकार है। इसके बावजूद भी वाद जेरकार न रख कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र का जवाब दावा प्रतिवादीगण से प्राप्त किये बिना सरसरी तौर पर धारा 10 सी. पी.सी. का आवेदन बिना जवाब पेश करने का अवसर दिये वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि में वादनी का 1/2 हिस्सा है और वह काबिज काश्त चली आ रही है तथा रेस्पोडेंट वादनी के कब्जे में व्यवधान पैदा करते हैं। इस कारण वादनी अपीलान्टा को वाद जारी रखने का अधिकार रहता है इस कारण भी पारित आदेश/निर्णय अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादनी सुनवायी हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील ममों में अंकित तथ्यों को ही बहस माने जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादिनी द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपीलांट वादिनी एवं रेस्पोडेंट प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की खसरा नम्बर 1584, 1911, 1912, 1973, 1981 कुल 5 किता की 04.84 हेक्टर भूमि का विभाजन कर अपीलांट वादिनी के 1/2 हिस्से की भूमि का पृथक खाते दर्ज कर प्रतिवादी नं. 1 व 2 को जरिये स्थायी, निषेधाज्ञा से पाबंद कर वादनी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नहीं करे यह अनुतोष प्रदान करने का प्रार्थना की।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 10 सी.पी.सी. को स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रकरण से संबंधित वाद श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में जैरकार है जिसमें स्थगन आदेश मूल वाद के निस्तारण तक का दिया हुआ है जिसकी प्रति पत्रावली में शामिल है। प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में जैरकार होने से इस न्यायालय में जैरकार रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। पक्षकारान श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में जैरकार वाद का निर्णय होने के बाद वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र होगें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 2 द्वारा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में विवादित आराजी के सन्दर्भ में विक्रय अनुबन्ध की विशिष्ट अनुपालना करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी कर पक्षकारान को प्रकरण में वाद के निस्तारण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होने तक विवादित सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निस्तारण नहीं करने तथा आदेश दिनांक 18.02.2017 के अनुरूप ही विवादग्रस्त सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। सिविल न्यायालय में जैरकार यह प्रकरण विवादित आराजी के विक्रय के सन्दर्भ में वादिनी अपीलांट के पिता द्वारा निष्पादित इकरारनामें की अनुपालना से संबंधित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र की प्रतिलिपि से स्पष्ट है। वादिनी अपीलांट द्वारा इस सन्दर्भ में प्रस्तुत अपील में कथन किया है कि रेस्पोडेंट नं. 2 ने आपसी साजिश षडयंत्र रचकर फर्जी इकरारनामा कूटरचित रूप से दिनांक 04.11.2016 को तैयार किया। जिस पर अपीलांट के पिता के फर्जी हस्ताक्षर किये और उसके आधार पर विशिष्ट अनुपालना का वाद सं. 32/17 सिविल न्यायालय में पेश किया और एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त फर्जी दस्तावेज बाबत अपीलांट ने धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां में परिवाद पेश कर रखा है, जो जैरकार है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है। विवादित आराजी के सन्दर्भ में निष्पादित इकरारनामें की अनुपालना एवं जाँच दोनों ही विषय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सिविल न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संदर्भ में ता फैसला वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा